



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

आदेश:-

पूर्व में जारी आदेश दिनांक- 7.6.12 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मै0 एसोटैक रियलटी प्रा0लि0 को दिनांक- 01.7.12 तक कॉमन एरिया एवं फैंसिलिटीज विन्डसर पार्क रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरित करना तथा डिकलीयरेशन की प्रति आदेश के 15 दिवस में इस कार्यालय में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, जो कि आज तक पूर्ण नहीं कराया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश को पूरा न करते हुए एप्सोक्लीन प्रा0लि0 द्वारा सर्कुलर दिनांक- 02.9.13 के माध्यम से नई चार्जज लागू की गई है, जो कि गलत है।

एतद्वारा मै0 एसोटैक रियलटी प्रा0लि0 को आदेशित किया जाता है कि विन्डसर पार्क रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से उनके पत्र दिनांक- 03.9.13 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं सहमति करते हुए इस आशय की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को दिनांक- 10.9.13 तक अवश्य उपलब्ध कराये तथा सहमति होने तक सर्कुलर दिनांक- 02.9.13 के दरों को लागू न की जाए तथा दिनांक- 01.9.13 के पुराने दरों पर ही बिलिंग की जाए।

अतः प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक- 10.9.13 तक आवश्यक रूप से कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को लिखित में अवगत कराये अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

भवदीय

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
पी0सी0एस0
विशेषाधिकारी

पृष्ठांकन सं0- 529 (iv) दिनांक- 3/9/13
प्रतिलिपि,

1. प्रैसीडेंट, विन्डसर पार्क रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम् को सूचनार्थ।
2. मै0 एसोटैक रियलटी प्रा0लि0, 5 वैभव खण्ड इन्दिरापुरम् को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मै0 एप्सोक्लीन प्रा0लि0, ब्लॉक 'के' विन्डसर पार्क, इन्दिरापुरम् को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रैसीडेंट, फेडरेशन ऑफ ए0ओ0ए0, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेषाधिकारी